उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPRATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 4094–पारे0अनु0–16/पाट्रांकालि–2017–05/2017 दिनांकः 9 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यो हेतु नियोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2269–औ0सं0/2017–19(125)ए0एस0/01 दिनॉक 01.05.2017 को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2017 को सम्पन्न हुई 54वीं बैठक में पारित निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए निम्न संकल्प पारित किये गये:–

1. वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्यो हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (Contracting Engineer) द्वारा तात्कालिक सहायता रू0 5.00 लाख अनुग्रह धनराशि के रूप में स्वीकृत करते हुए मृतक संविदा श्रमिक के परिजनों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भुगतान करेंगे।
2. कारपोरेशन द्वारा अनुग्रह धनराशि के रूप में भुगतान की गई धनराशि रू0 5.00 लाख की वापसी हेतु संविदाकारों द्वारा नियोजित श्रमिकों का रू0 5.00 लाख का बीमा सामूहिक रूप से कराया जायेगा। उक्त बीमे हेतु संविदाकार को श्रमिकों की मजदूरी के साथ बीमा की राशि का भुगतान किये जाने की नीति विद्यमान है। बीमे की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर संविदाकार द्वारा उक्त धनराशि रू0 5.00 लाख सम्बन्धित खण्ड में 120 दिन में जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सम्बन्धित संविदाकार के बीजक से रू0 5.00 लाख की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तद्नुसार अनुबन्ध की शर्तों में इसका उल्लेख भी किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह धनराशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व इकाई के लेखाकार का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी एवं लागू माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 4094 (i)–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)